न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

दावा संख्या - 40/2017

1- कानाराम पुत्र घासीराम जाति कोली आयु 73 वर्ष निवासी ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

.... वादी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

..... प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा
खातेदारी एवं निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89,
188 आर० टी० एक्ट

निर्णय दिनांक 10/9/2018

वादी ने एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर० टी० एक्ट के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 109 मिन में 5 बीघा भूमि पर स्वाधिकार काबिज काश्त चला आ रहा है। और कृषि कार्य करता चला आ रहा है। विवादित भूमि में 5 बीघा भूमि वादी को आवंटन समिति द्वारा दिनांक 9/12/1970 को आवंटित की गई थी। जिसकी विधिवत फीस लेकर

दिनांक 20/1/1971 को वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। तब से आज तक वादी उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है। किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर खातेदार का नाम दर्ज नही किया गया और ना ही गैरखातेदारी का नामान्तकरण ही खोला गया जबकि वादी ने आवंटन की सभी शर्तो की पालना की है। और ना ही आवंटन किसी न्यायालय द्वारा कभी निरस्त किया गया है। उक्त प्रकार बाद आवंटन वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया जो वादी के कृषि अधिकारों के विरुद्ध व अवैध है।

वादी ने वाद पत्र के मद स0 1 से 10 तक अंकित तथ्यों को ताईद करते हुऐ अनुतोष चाहा कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर भूमि वादग्रस्त ख0न0 109 मिन रकबा 5 बीघा वाकै ग्राम नानावाला तहसील जमवारामगढ का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी को बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे व वादी के कब्जे अनुसार भूमि भी राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को उसके कब्जे काश्त की आवंटित भूमि ख0न0 109 मिन रकबा 5 बीघा ग्राम नानावाला तहसील जमवारामगढ से बेदखल न स्वंय करें न अपने कारकुनो से करवायें।

उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी को जारी की गई। दिनांक 20/3/17 को प्रतिवादी को नोटिस तामील हुआ। तथा पत्रावली को जवाब में विचाराधीन रखा गया। तहसीलदार

[illegible]

...जमवारामगढ़ की रिपोर्ट 1/6/17 को तहसीलदार जमवारामगढ़ से जवाब प्राप्त हुआ। दिनांक 12/6/17 को वादी की ओर से शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा पत्रावली को दिनांक 14/6/17 आगामी तिथि नियत की गई। दिनांक 15/9/17 को पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली को आदेश में रखा गया। दिनांक 15/1/18 में आदेश नहीं सुनाया व लिखा गया। अतः पत्रावली को पुनः बहस में पत्रावली को विचाराधीन रखा गया।

तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक/आर.एन.सी./17/118 दिनांक 1/5/17 के द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया कि बिन्दु सं.1 के सम्बन्ध में ग्राम नाभावाला के ख०नं० 109 कि. किस्म खण्ड-3 राजकीय सिवायचक खेती के लिये भूमि के कालम नम्बर 1 में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। बिन्दु सं.2 के सम्बन्ध में वादी कानाराम पुत्र घासी जाति कोली का ख०नं० 109 मि. में 5 बीघा भूमि पर काश्त है। संवत 2073 में मौके पर बाजरे की काश्त की है। व वर्तमान में 5 बीघा भूमि पर मेडबन्दी कर रखी है प्रार्थी को कैम्प डांगरवाड़ा में 9/12/1970 को आवंटन आदेश पत्र जारी कर दिया गया था लेकिन रिकार्ड में गैरखातेदार का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया था। उक्त आवंटन के सम्बन्ध में कोई रेफरेन्स आदि विचाराधीन नहीं है। एवं भूमि अब्दुल रहमान याचिका/माफी मन्दिर/वन विभाग की भूमि इत्यादि के सम्बन्ध में अधिसूचित नहीं है। विवादित भूमि पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी की ओर से लगान बकाया नहीं है। आवंटन शर्तों की पालना करता आ रहा है तथा इस प्रकार प्रार्थी गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता रखता है।

P.T.O.

वकील वादी व तहसीलदार जमवारामगढ़ की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि मुताबिक 9/1/1970 के आवंटन अनुसार गैरखातेदारी दर्ज करवाई जावे।

पैरोकार सरकार तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि अगर आवंटन अनुसार वादी को गैरखातेदारी के आदेश प्रदान किये जाते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर सलाहकार आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 9/1/1970 को वादी काना राम पुत्र बासी जाति कोली को ग्राम नाथावाला के ख०नं० 109 मिन में 5 बीघा भूमि आवंटित की थी। वादी ने आवंटन शर्तों की पालना की है तथा मौके पर वादी का कब्जा है इसलिये मुताबिक आवंटन अनुसार वादी को गैर खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी के वाद को डिक्री किया जाता है। अतः वादग्रस्त आराजी ख०नं० 109 मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम नाथावाला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर को गैरखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करे। डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। वाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)